



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,  
Regional Office, Western Region,  
"केंद्रीय पर्यावरण भवन"

"Kendriya Paryavaran Bhavan"

लिंक रोड नं० 3, Link Road No. 3

E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,

भोपाल, 462016 (M.P.)

फोन- 2466525, 2463102, 2465496

तार /Telegram: CENTFOREST

अणु डाक/E-mail: rccf@bhopal@gmail.com

क्रमांक 6-MPC042/2006-BHO/575

20-5-07

प्रधान सचिव(वन),  
मध्य प्रदेश शासन,  
वल्लभ भवन,  
भोपाल (म०प्र०) ।

विषय: रतलाम जिले में विण्ड फार्म निर्माण हेतु 39.50 हे० वनभूमि सुजलान एनर्जी लिमिटेड भोपाल को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-एमपीसी 042/2006-वीएचओ/3146 दिनांक 22/05/2007  
2. मु०व०रा०(भू-प्रवर्ध), म०प्र० का पत्रांक 4/16/9/2006/10-11/विभुत/1571 दिनांक 28/6/2007

महोदय,


कृपया मुख्य वन संरक्षक(भू प्रवर्ध) म०प्र० को उक्त विषयक पत्रांक एफ-4/16/9/2006/10-11/विभुत/1649 दिनांक 29/07/2006, 15/11/2006, 10/01/2007 एवं 18/01/2007 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केंद्र सरकार के अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरों द्वारा केंद्र सरकार की ओर से रतलाम जिले में विण्ड फार्म निर्माण हेतु 39.50 हे० वनभूमि सुजलान एनर्जी लिमिटेड भोपाल को बनेतर उपयोग के लिये दिये जाने का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 39.59 हे० (लेण्ड बैंक) गैर वनभूमि, खसरा क्रमांक 905/1/1 (ग्राग-उपरवाडा, तहसील-पिपलौदा, जिला-रतलाम) पर इस पत्र के निर्गत होने के दो वर्ष के अन्दर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।  
ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।  
स) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।
3. परियोजना के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि कैम्पा (CAMP) को कार्पोरेशन बैंक, ब्लाक 11, सी०जी०आ० काम्पलेक्स, फेरा-I, लोदी रोड, नई दिल्ली 110 003 में स्थित खता संख्या CA 1580 में हस्तांतरित की जायेगी ।

4. The vane tips of the wind turbine shall be painted with orange to avoid bird hits.
5. Environmental clearance, as required under EIA Notification, 2006 shall be taken from the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India, New Delhi prior to starting work on forest land.
6. This approval under Forest (Conservation) Act, 1980 shall be for a period of 30 years.
7. Forest Department will develop medicinal plant gardens according to the scheme prepared by them in the wind farms over an area 25.00 ha. at the cost of user agency.
8. Soil & Moisture conservation measures like contour trenching shall be taken up on the hillocks supporting the Wind Mill by the Forest Department at the cost of User Agency.
9. The Wind Turbines/Wind Mills to be used on forest land shall be ones approved for use in the country by the Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Govt. of India.
10. The guideline issued by Ministry of Environment and Forests vide No. 8-84/2002-FC dated 14/05/2004 and dated 16/12/2005 shall be followed in all respects.
11. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.


भवदीय,  


(सन्तोष कुमार)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110 003.
2. मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल रतलाम, जिला-रतलाम, मध्यप्रदेश ।
4. जनरल मैनेजर, सुजलान एनर्जी लिमिटेड, एस0एफ0 13, सी0 ब्लॉक, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, एम0पी0 नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।



(सन्तोष कुमार)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

etc